of having just the registration of Parties under the People's Representation Act; we can think of registration of alliances. But this is again in the power and in the scope of the Election Commission. We do not need another Committee. I think what is really required is that the Election Commission ought to take initiative on this, and, so far, the Election Commission has taken initiatives on this side. That is why, even though regional parties are able to have national broadcasts on the Doordarshan, I think this is a matter which belongs to the Election Commission and we dont need to have another Committee on this. So, while I support the motivation of the Resolution, I think, I would request Mr. Naik to reconsider the solution he has suggested and say that mis matter should be referred to the Election Commission. Thank you, Sir.

STATEMENT BY MINISTER

Serial blasts in Uttar Pradesh

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SHRI PRAKASH JAISWAL): Sir, today, serial blasts took place in Uttar Pradesh at Lucknow, Varanasi and Faizabad. All blasts took place in court premises, details of which are as under:

1. Lucknow: Low-intensity blast took place at 13.05 hours near cycle stand, Court Complex, Lucknow; no casualty reported.

2. Varanasi: Three high-intensity blasts took place in between 13.18 hrs. to 13.20 hours in court premises, Varanasi. Ten persons were injured and one is reported to have died.

3. Faizabad: Two high intensity blasts took place in Faizabad court premises at about 13.25 hrs. Two persons died and fifteen injured.

All these six blasts took placed adjacent to court premises, and particularly, in all the three places, nearby cycle stand, situated in court premises. Affected areas have been cordoned off and police and bomb disposal and detection squad under supervision of senior police officers are conducting thorough search. So far, no information has been received regarding the type of explosives, mechanism and involvement of any group, or, organisation. According to the information from the police authority, high alert has been issued. Thank you. Sir.

PRIVATE MEMBER'S BUSINESS RESOLUTIONS — *(Contd.)*

Constitution of a committee for recommending amendments to constitution for adding a new chapter on governance of coalition-governments

श्री एस. एस. अहलुवालिया (झारखंड) : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे विद्वान साथी श्री शान्ताराम लक्ष्मण नायक जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया हैं, मैं उनके इस संकल्प पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, "देर आयद, दुरुस्त आयद"। उन्होंने अपने संकल्प के पहले भाग में लिखा हैं कि राष्ट्र और राज्य स्तर पर गठबंधन सरकारों का युग आ गया हैं। महोदय, इन दो लाइनों के इस भाग को सामने रखने के पीछे, इसके इतिहास को देखना बहुत जरूरी हैं। ऐसा युग क्यों आया और उसका मूल कारण क्या हैं ? राष्ट्रीय पार्टियों के साथ-साथ क्षेत्रीय पार्टियों का उदय क्यों हुआ ? महोदय, उसका मुख्य कारण एक ही है कि जब उस इलाके का क्षेत्रीय स्वार्थ, क्षेत्रीय उत्थान या विकास का ध्यान न रखते हुए राष्ट्रीय पार्टिया, राष्ट्रीय सरकारें चलाती रही, तो क्षेतीय इलाकों में असंतोष पैदा हुआ। उनको ऐसा लगने कि हमारा गांव, शहर से दूर है और शहर से हमारे राज्य की राजधानी बहुत दूर हैं और राजधानी से राष्ट्र की राजधानी दिल्ली बहुत दूर हैं। हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती हैं, हमारी भावनाएं वहां नहीं पहुंचती हैं,

हमारी चाहत वहां नही पहुंचती हैं, हमारी मांगे वहां नहीं पहुंचती है और जब पहुंचती हैं तो अनसुनी कर दी जाती हैं। इस कारण लोगों में क्षेत्रीयवाद की भावना जागी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस देश में इस लोगों ने भाषा आंदोलन देखा, क्षेत्रीय आंदोलन देखे, सूबे को कम करने के आंदोलन देखे, राज्यों को छोटा करने के आंदोलन देखे और इन सारी चीजों के कारण आज हम इस कगार पर पहुंच गए कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर भी गठबंधन की सरकार के बारे में सोचना पड़ रहा हैं। महोदय, यह एक तरह से अच्छी बात हैं कि इस में सब की विचारधारा आ जाती हैं, किंतु आज जो अवस्था हैं, उस में गठबंधन सरकार आना, गठबंधन सरकार का एक धर्म होना और उस धर्म का पालन करना, उस का एक नेतृत्व होना, कठिना काम हैं। इसका कारण हैं कि हरेक की मांग बीच में आ जाती हैं। मैं समझता हूं कि इस मांग के पीछे एक सब से बड़ी मांग पहले उठी थी जब कि राज्यों ने ऑटोनोमी मांगने की शुरूआत की थी। हरेक राज्य ने केन्द्रीय सरकार से बहुत सारे अधिकार अपने अधिकारों में लेने की बात कही। महोदय, हमारे पूर्व पुरुषों ने जब संविधान बनाया, उस वक्त उन्होंने एक चरित्र की कल्पना की थी जोकि उस वक्त था और उन्होंने सोचा था कि ऐसा ही चरित्र आगे चलेगा। परन्तु दिन-व-दिल उस राष्ट्रीय चरित्र में खनन हुआ। उस राष्ट्रीय चरित्र में कमी आई, राष्ट्र-प्रेम में कमी आई, राष्ट्रीय सोच में कमी आई आदमी अपने आप पर संकुचित होने लगा, संकीर्ण सोच आ गई। जिसके पास शक्ति थी, अब जैसे अगर कोई उद्योग मंत्री बना और उसके पास उद्योग लगाने का एक मौका आया, तो उसने कहा कि मैं अपने क्षेत्र में उद्योग उगाऊंगा। अफसरों ने कहा कि साहब, वहां उस उद्योग को लगाने के लिए रा-मैटेरियल नहीं हैं, उसे बहुत दूर से लाना पड़ेगा, तो कहा गया कि अरे, तुम्हारा क्या घटना हैं, हमारे इलाके में उद्योग लगाओं, हमारे इलाके में उद्योग लगेगा, तो हमारा विकास होगा, हमारे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। अब रा-मैटेरियल कहां से आता हैं, कैसे आता हैं, नहीं आता हैं, वह बाद में देखते रहेंगे। इस तरह हमारा पब्लिक सेक्टर, टोटल पब्लिक सेक्टर, जिसका काम था कि चहुंमुखी विकास दे, वह नहीं हो सका, क्योंकि जिस वक्त निर्णय लिए गए, स वक्त जो बाहुबली, जो शक्तिशाली मंत्री थे, उन्होंने ये उद्योग अपने इलाकों में लगवाए, चाहे रा-मैटेरियल हो, चाहे वहां फिनिश्ड प्रोडक्ट बिकता हो या उसकी खपत हो या न हो।

महोदय, यह विकास से जुडा हुआ मामला हैं। इतना ही नहीं, उसके साथ एक और राइडर था, राइडर यह था कि हमारे पड़ौसी मुल्को से लड़ाई चल रही थी, इसलिए उद्योग में सोच लगती थी कि बोर्डर के पास में इंडस्ट्री नहीं लगानी। क्यों नहीं लगानी ? इसलिए कि दुश्मन हमला करेगा, तो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, डूब जाएगी, क्योंकि दुश्मन बम फॅक देगा या एअर स्ट्राइक कर सकता हैं। आज वह आर्ग्युमेंट बेकार हो गई हैं, क्योकि तीन हजार माइल्स तक मार करने वाले मिसायल्स बन गए हैं। इस तरह उस वक्त पब्लिक सेक्टर वहां नहीं लगा और आप देखिए कि जहां-जहां पब्लिक सेक्टर नहीं लगा, जिस-जिस इलाके का विकास नहीं हुआ, वहां-वहां राष्ट्रीय पार्टियों की समाप्ति हुई, वहां-वहां क्षेत्रीय पार्टियां उभरी, कही भाषा के नाम पर, जो कहीं वहां की खास संस्कृति के नाम पर और कहीं रोजगार के नाम पर, मुख्यतः रोजगार के नाम पर।

महोदय, आज सारी दुनिया में, हरेक जगह एक नया कन्सेप्ट चल रहा हैं टू पार्टी सिस्टम का, कि किस तरह से टू पार्टी सिस्टम लाया जाए। सारी दुनिया में यह सोच चल रह हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, सारे यूरोप में यह सोच चल रही हैं कि मल्टी सिस्टम को समाप्त करके टू पार्टी सिस्टम को लाया जाए, तभी देश की उन्नति हो सकती हैं और ऐसे वक्त में हम एक संकल्प के माध्यम से एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं कि सरकार इसानुसार चले, मगर मेरी सोच इससे थोड़ी सी विपरीत हैं। मैं कहता हूं कि अगर हमारी मजबूरी हैं कि गठबंधन की सरकार ही होनी है, अगर हमारी यह मजबूरी हैं, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं, नेशनल एजेंडा ऑफ गावर्नेन्स होना चाहिए। जब हम चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव लड़ते वक्त हरेक दल अपनी भावनात्मक भावनाओं को सामने रखते हुए वोटर्स को आकर्षित करने के लिए इमोशनल एजेंडा को सामने रखता है। जब चुनाव जीत जाता हैं और उसे मेजोरिटी नहीं मिलती हैं, तो वह समझता है कि हम एक गठबंधन की राजनीति करके सरकार बना लें। मुझें यहां पर भी बड़ा आश्चर्य लगता हैं, जब कई बार मैं सुनता हूं, क्योंकि आज यहां पर प्राइवेट मैमबर्स रेजोलूशन हैं, यहां पर पार्टी को द्वेष नहीं होता, किन्तु यह लोजिक, जो आज यूपीए सरकार चल रही हैं, यह ऐसे-ऐसे दलों का सम्मेलन हैं, जो कभी एक नहीं हो सकता हैं, जैसे तेल और पक्षों से पूछा जाए कि यह सरकार क्यों चल रही हैं ? तो दोनों पक्ष यही कहते हैं कि हम सरकार इसलिए चला रहे हैं, ताकि यह न आ जाएं।

इनको रोकने के लिए चला रहे हैं। मुझे कभी-कभी महसूस होता हैं और मैं अपने आपको गर्वीला भी महसूस करता हूं कि जिसको रोकने के लिए इनका गठबंधन चल रहा हैं कि ये न आ जाएं, वह हम हैं, वह हम हैं, अर्थात हम आप सबसे शक्तिशाली हैं और इसीलिए आपको हमारा डर हैं। आप सारे इकट्ठे हैं और मैं अकेला हैं, आप मुझे रोकने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरी बात सुनिए ...(**व्यवधान**)...

MR. Narayanasamy, Whatever I am saying, it is an overhead transmission for you or you will not understand my philosophy.

SHRI V. NARAYANASAMY (Puducherry): Not for me ..*(Interruptions*)..

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura): We are against communal forces.

SHRI S.S. AHLUWALIA: I am coming to that also.

एक तो कहते हैं कि हम इन्हें रोकने के लिए हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी पश्चिमी बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं। पश्चिमी बंगाल में बी.जे.पी. VS मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी झगड़ा नहीं हैं, झगड़ा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी VS लेफ्ट VS कांग्रेस हैं। ...(**व्यवधान**)... वह ठीक हैं, TMC तो अलग हैं। ...(**व्यवधान**)... मैं आपके स्टेट की बात करता हूं, आपका त्रिपुरा भी है।

श्री मतिलाल सरकार : केरल।

श्री एस. एस. अहलुवालिया : केरल में तो 14 पार्टिया इधर हैं, 14 पार्टिया उधर हैं। लेफ्ट में और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में दोनो तरफ 14-14 पार्टिया हैं, 28 पार्टिया लड़ रही हैं। आपस में। बंगाल में और केरल में ये two parties मुख्यतः आपस में चुनाव लड़ती हैं। जिस टाइम चुनाव लड़ते हैं, उस समय बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता मार्क्सवादियों के हाथों मारे जाते हैं और बहुत सारे मार्क्सवादी कार्यकर्ता कांग्रेसियां के हाथों मारे जाते हैं। उसके बावजूद दिल्ली मे आकर इस पक्ष को रोकने के लिए, हमें रोकने के लिए, ये हाथ मिलाकर CPM बनाते हैं, Common Minimum Proframme बनाते हैं, जिस Common Minimum Proframme में क्या सब्जेक्ट आएगा, क्या नहीं आएगा, उसे ये बैठकर डिसाइड करते हैं। किन्तु, जिस जनता की भलाई के लिए चुनाव लड़ा जाता हैं या देश में सरकार की जरूरत हैं उन्हें क्या चाहिए, उनसे कोई नहीं पूछता। मेरा यहां कहना यह हैं कि जब ऐसी स्थिति शुरू हो जाए तो सबसे पहले कंट्री में नेशनल प्रियरिटीज़ का एक referendum लेना चाहिए कि नेशन क्या चाहता हैं और उसका एक नेशनल एजेंडा बनना चाहिए। मान लीजिए कि नेशनल एजेंडा में हैं "Shelter for all" हम United Nations में दस्तखत करके आते हैं "that we will give shelter to everybody", क्या हमने दिया हैं ? क्या हमने वाकई सबकी shelter दिया हैं ? नहीं दिया। अगर सबको shelter दिया होता तो देश के करीब 30 फीसदी लोग, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनके पक्के मकान होते। लेकिन नहीं हैं, वे किसी तरह मुश्किल से घास के नीचे भी अपनी रात गुजारते हैं उनके लिए मकान नहीं हैं। अगर हमने United Nations के उस प्रोग्राम में दस्तखत किया हैं कि " Food for all", तो क्या वाकई हमने " Food for all", प्रोग्राम लागू किया हैं ? अगर किय होता तो हमारे देश के BPL के लोग और lower BPL के लोग भूखे पेट न सोते, पानी पीकर न सोते। क्या यह सच हैं कि वाकई पूरे देश में लोग एक बेला की रोटी खाकर सोते हैं ? नहीं, कई जगह तीन दिनों पर रोटी मिलती हैं। हमें भूख् का अंदाजा नही हैं, क्योंकि हम उस माहौल में रहते हैं कि अगर ब्रेकफास्ट 5 मिनट लेट हो जाए तो डाइनिंग टेबल उल्टा हो जाता हैं, पर उनके बारे में सोचिए जिनको तीन दिन बाद रोटी मिलती हैं। गांधी जी ने कहा था कि जब अंतिम आदमी के आंसू को हम पोंछेंगें, तभी देश को असली आर्थिक आजादी हासिल होगी। क्या हम उसको हासिल करने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ हैं ? हम गठबंधन के धर्म की बात कर रहे है, परन्तु हम उस धर्म की बात नहीं कर रहे, जिस धर्म के माध्यम से हम मानवता के और भारत के नागरिक के मौलिक अधिकारों को परिपूर्ण कर सकें, हम उन्हें वे दिला
धर्म के माध्यम से हम मानवता के और भारत के नागरिक के मौलिक अधिकारों को परिपूर्ण कर सके, हम उन्हें वे दिला
सके। हम उसकी बात नहीं कर रहे। उसी तरह " Justice for all" की बात हम करते हैं। International Court of Law में हम कहते हैं और United Nations में हम दस्तखत करते हैं, उसका ratification करना चाहते हैं। हमे signatory हैं, हम फाउंडर फादर हैं उस सोच के- Justice for all. जिस मुल्क में अभी भी ढ़ाई करोड़ मुकदमे कचहरियों में लंबित हों और डेट पर डेट पड़ती हो और वकील फीस पर फीस लेता जाता हो और वहां पर एक आदमी को न्याय पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खानीं पड़ती हों, क्या हम वाकई उसको पूरा कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो हम सी.एम.पी. को लेकर क्या करेंगे। जब तक हम National agenda of governance की बात नहीं

करेंगे और National agenda of governance के लिए national priority select नहीं करेंगे कि वाकई भारत के भारतवासियों को क्या चाहिए, कन्याकुमारी के कश्मीर तक और कच्छ से कोहिमा तक के लोगों को क्या चाहिए। जो चीज उनको चाहिए, वह हम उपलब्ध करा सकते हैं या नहीं अब हमारी सोच यह होनी चाहिए, कि हम मल्टी पार्टी सिस्टम में, मल्टी पार्टी गवर्नेंस में किस तरह से व्यवस्था बनाएं या हमारी यह सोच होनी चाहिए कि देश को विकास की तरफ अग्रसर करने के लिए हम कंट्री में दो पार्टी सिस्टम लाएं। हमारे त्रिपुरा के मार्क्सवादी बंधु ने कहा कि हम सेक्यूलर हैं, आप कम्युनल हैं, मैं कहता हूं, ये दो एग्रीसिव वर्ड हैं। कितना सेक्यूलर आप हैं और कितना कम्युनल मैं हूं, यह नजर आता हैं। मैं तो सीधा कहता हूं, ये दो एग्रीसिव वर्ड हैं। कितना सेक्यूलर आप हैं और कितना कम्युनल मैं हूं, यह नजर आता है। मैं तो सीधा कहता हूं, ये दो एग्रीसिव वर्ड हैं। कितना सेक्युलर आप हैं और कितना कम्युनल मैं हूं, यह नजर आता हैं। मैं तो सीधा कहता हूं कि किसी को अपीज़ मत करिए, किसी को फेवर मत कीजिए, पूरे भारतवासियों को बराबर-बराबर तराजू से तौलिए, सबको न्याय, अधिकार बराबर दीजिए। मैं अपनी व्यक्तिगत बात करता हूं, हो सकता हैं, आपके घर में एक नियम होगा कि आपसे जो मिलने आता हैं उससे पूछा जाता होगा कि आप किस मंडल से आएं हैं, किस सर्किल से आएं हैं, किस लोकल कमिटी ने भेजा हैं, किन्तु मेरा घर खुला हैं, मेरे घर में मैं न जात पूछता हूं, न धर्म पूछता हूं, न पार्टी पूछता हूं, कहां से आए हो, किसकी चिट्ठी लेकर आए हो, कुछ नहीं पूछता हूं, अगर कोई चिट्ठी, लेकर आता हैं तो उससे मैं सबसे लास्ट में मिलता हूं क्योंकि मैं चिट्ठी खोलता ही नहीं हूं, मैं बोलता हूं कि तकलीफ बताओं, अगला कहता हैं कि तकलीफ चिट्ठी में लिखी हैं तो मैंने कहा तुमको पता हैं या नहीं, तुमने पहले अपनी तकलीफ बयान की होगी तब उसने चिट्ठी लिखी होगी, इसलिए पहले तुम तकलीफ बताओं ताकि मैं उसका इलाज करूं। जनता के प्रतिनिधि को इमरेर्जेंसी वार्ड में जिस तरह से डॉक्टर काम करता हैं, जब डॉक्टर मरीज के जख्म को देखता हैं, तकलीफ को देखता हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू करता हैं और ट्रीटमेंट शुरू करते वक्त उसकी जात का नाम, धर्म का नाम कुछ नहीं पूछता हैं, उसका ब्लड ग्रुप कलेक्ट करता हैं कि शायद ब्लड की जरूरत पड़ जाए, उसके और टेस्ट करता हैं कि कौन-सी दवाई उसको reaction करती हैं या नही करती हैं और इलाज करता हैं। केवल उकस address prove यानि नाम, पता आदि लिखा जाता हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उसके घर वाले को सूचना दी जा सके। पर यह कह कर कि हम इकट्ठे हैं, आम, इमली, कटहल सब इकट्ठे हैं। सारे बीजों को मिलाकर कुछ नहीं मिल सकता। सारे बीजों को अगर एक जगह गाड़ दिया जाए तो सब सड़ जाएंगे, किसी का अंकुर बाहर नहीं आएगा और कोई पौधा नहीं निकलेगा क्योंकि कोई गर्मी में पैदा होने वाला फल हैं, कोई ठंड में पैदा होने वाला फल हैं तो कोई बरसात में पैदा होने वाला फल हैं। आप हमें रोकना चाहते हैं, हमें रोकने के लिए आप सारे इकट्ठे हुए हैं, पर मेरे विद्वान बंधु शान्ताराम लक्ष्मण नायक जो गोवा से आते हैं, उनको काफी अनुभव हैं कि वहां मल्टी पार्टी गठबंधन की सरकार कितने दिन चलती हैं। जब से गोवा आजाद हुआ हैं, हमारे देश को आजाद होने के बहुत बाद आजाद हुआ हैं और जब से वहां डेमोंक्रेसी आई हैं और जब से वहां यह सब कुछ चल रहा हैं उसमें हमने देखा हैं कि कितनी सरकारें बदल गईं, कितने चीफ मिनिस्टर आकर चले गए, कोई दस दिन, कोई बीस दिन, कोई महीना, कोई दो महीना, कोई पांच महीना, कोई छः महीना, पांच साल की टर्न काटने वालों की संख्या बहुत कम हैं। वैसे माहौल को हम पूरे देश पर थोपने की कोशिश न करें, अगर कोई सोच हो तो कंट्री में दो पार्टी सिस्टम को लाने की कोशिश हमें करनी चाहिए और कभी सोच हो तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लाने की कोशिश हमें करनी चाहिए और कभी सोच हो तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की नहीं, कंट्री के priority की एक लिस्ट बनानी चाहिए (समय की घंटी) जब तक वह exhaust न हो जाए, जब तक वही पूरी न हो जाएं तब तक कोई इमोशनल एजेंडा नहीं लाय जा सकेगा, यह कोशिश होनी चाहिए, तभी हम देश में उन्नति ला सकेंगे, तभी एक रियल डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, नेशलन डेमोक्रेटिक गवर्नेस की बात हम कर सकेंगे।

DR. E.M. SUDARSANANAT CHIAPPAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on this important topic. Many hon. Members have mentioned very important points. I would like to highlight the fact that the coalition governments are running from 1977 onwards at the national level. Sir, in 1977, a very nascent national party at that time, Janta Party, with AIADMK and other regional parties, could form the government, and, subsequently, in 1978 also. Sir, till then, the regional parties were having the notion that they could get certain things in the interest of their regional needs from the national parties on demand.

But from 1977 onwards, there is a turnaround in their thinking. Now, they can also become a part of the Government at the national level and can deliver certain things with respect to

their regional needs. This particular Resolution is addressing these issues which were prevalent at the State level in different States. We can take two or three States, for example, to make a study upon it. One important thing is that the State of Kerala and West Bengal work as institutionalised coalition party, which could exist as alternative parties. In Tamil Nadu, najority of the parties will have an alliance, but one individual party will rule, and, will be " ere for the full term. These types of examples are prevailing in India. All these things are w coming up to the national level.

At the national level, we have to find out whether we are addressing the needs of the egional parties; are the national parties in a position to address the regional demands. Till . 977, the national party could address the regional needs. When the regional needs could Not be addressed properly, the national party suffered in that particular region, whether it was in the northern, southern or eastern part of the nation. Therefore, there is a need for overall understanding of the nation, and the demands of different groups of people, different sultural and social groups, the economic demands, political necessities, all are to be taken into consideration if a national party has to exist.

No doubt, in the 1990s, a party has come up to the level of the national party. But we cannot call it as a national party. It is also a coalition of regional groups. Therefore, we have this particular Resolution, which addresses the issue as to whether we can have a Constitutional mechanism by which the formation of the ministry can be controlled. Articles 74 and 75 of the Constitution do not demand anything except one thing, and, that is, accountability to the House of the People. It means that you should have the majority in the House of the People. Therefore, how to have the majority, how to be accountable to the House, that alone works on the coalition. If a particular party does not have the majority, they get some more parties alongwith them so that they can prove the majority in the House itself.

Therefore, when they have got that type of understanding, whether it is post-election or pre-election, that has to be considered. If it is a pre-election, understanding and there is a Common Minimum Programme or an election manifesto, which is arrived at by each and every party, and, commonly accepted by all the alliance parties, whether that can be considered by the Election Commission before going to the polls. After the polls, post-election period, whether the President of India can consider, whether these parties can come into a coalition by way of principles, common minimum programme, whether they are addressing the situation for the future five-year period when they are going to have the majority in the House of the People. If they could convince the President, then he or she can allow the particular party or the particular parties to have a coalition Government for a period of five years. If they could not deliver the things, who is going to be the alternative? That also is to be discussed about. Therefore, it is a very important thing. I hope I can continue the speech.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI UDAY PRATAP SINGH): You have got one more minute.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Therefore, the important situation which comes now is how to make a mechanism, who is going to take the responsibility to find out by the people's verdict, that is the confidence of the people, which is reflected through the representation, whether a party has got the power to continue in a Government on the basis of principles, on the basis of certian agendas which ought to be delivered within the particular period of five years. If that cannot be done, then, what is the alternative? These are the things that have to be discussed in this particular topic.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Sir, I would like to make a submission. Sir, this Resolution will come up for discussion now on 7th December. If it does not come for *...(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI UDAY PRATAP SINGH): No, no, it will come *...(Interruptions)...*

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Sir, I would like to submit that if it does not come, it will get lapsed, as per the rules. I would like to make an appeal that in case the Resolution does not come on 7th December, for any reason *...(Interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY: How can we decide that now?.. *.(Interruptions)...* We cam decide that now.

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Last time also my Resolution got laps' *...(Interruptions)...* But, the House can decide. *...(Interruptions)...*

उपसभाध्यक्ष (श्री उदय प्रताप सिंह) : इस प्रस्ताव पर चर्चा 7 सितम्बर, 2007 को जारी रहेगी।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 26 नवम्बर, 2007 को प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती

The House then adjourned at seven minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Monday, the 26th November, 2007.